प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515007890500

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मऊ व सहारनपुर।

संख्याः 1 / शा0 / 08 / 2014–1 / 82 / 2014 लखनऊः **दिनांक 30 अक्टूबर, 2014**

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इन्टरलॉकिंग टाइल्स निर्माण हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान (अनुदान संख्या–83) के अन्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों में अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु रू0–52.500 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–2627 / 33–3–2014–100(11) / 2014 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इन्टरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि **रू0–18750.00** के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012–13 में चयनित ग्रामों में अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु **रू0–52.500 लाख (रूपया बावन लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न सूची में जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय / उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1425 क0नि0प्र0 / 26–3–2013–13(21) / 2013, दिनांक 10.10.2013 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय / उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2014–15 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय / उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–2467 / दस–2014–231 / 2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगें। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी0सी0एल0 पद्धति से व्यय करेगें। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक " 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियां–02–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

5– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों मे व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या– 83 के लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायगा।

7– आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0 / टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

CC Road 14 -83 Allotment 14-15

8— सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सीए—934 / दस—2008—मित—1 / 2007 दिनांक 02—09—2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10— आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

11— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर लेखाशीर्षक / मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12— किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

13— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—66 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय,

30/10

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः1 / शा0 / 88 / 1 / 2014 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
2— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उत्तर प्रदेश शासन।
4— विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
6— आयुक्त, आजमगढ़ व सहारनपुर मण्डल ।
7— जिला पंचायत राज अधिकारी, मऊ व सहारनपुर।
8— मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, मऊ व सहारनपुर।
9— उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), आजमगढ़ व सहारनपुर मण्डल ।
10— उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
11— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

CC Road 14 -83 Allotment 14-15

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015
आवंटन दिनांक-30/10/2014

प्रेषण संख्या:- 1-sha-88-2014-1-82-2014

आवंटन आदेश संख्या:- 003-82-2014

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

05 - समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5000000 15846000	5000000 15846000
2	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	250000 7191000	250000 7191000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5250000 23037000	5250000 23037000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बावन लाख पचास हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ तीस लाख सैंतीस हजार

(शहजाद अहमद अंसारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी